

**Government of India (Bharat Sarkar)**  
**Ministry of Railways (Rail Mantralaya)**  
**(Railway Board)**

No. 2007/TG-I/20/P/ATAS

New Delhi, dated 11.04.2016

Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.

**(Commercial Circular No. 17 of 2016)**

**Sub: Introduction of Alternate Train Accommodation Scheme (VIKALP).**

**Ref: 2007/TG-I/20/P/ATAS dated 14.10.2015 (CC No. 61/2015) & 2007/TG-I/20/P/ATAS dated 23.11.2015.**

With a view to provide confirmed accommodation to waitlisted passengers and also to ensure optimal utilisation of available accommodation, the Alternate Train Accommodation Scheme (ATAS) known as VIKALP was introduced as a pilot project on Delhi-Lucknow & Delhi-Jammu sectors on Northern Railways vide letters referred to above.

1.1 Keeping in view the announcement made in the Railway Budget 2016-17 regarding expansion of this scheme, matter has been reviewed and it has been decided that VIKALP scheme may also be introduced on the following sectors in normal Mail/Express and Superfast trains except Rajdhani/Shatabdi/Duronto/Suvidha Express Trains :-

- i. Delhi-Howrah
- ii. Delhi-Mumbai
- iii. Delhi-Chennai
- iv. Delhi-Bangalore
- v. Delhi-Secunderabad

1.2 It has been decided that all the passengers booked under this scheme will be given an option for getting alternate accommodation irrespective of the fact whether the boarding/destination stations of the passenger are originating/terminating stations or road side station e.g. a passenger booked ex Delhi to Nagpur will be considered under VIKALP on Delhi-Chennai sector. Similarly, a passenger booked ex Nagpur-Chennai will also be considered on Delhi-Chennai sector. Initially this scheme will be available for shifting passengers across all category of trains except Rajdhani, Shatabdi, Duronto and Suvidha Express trains or those trains where catering component is included in the fare.

1.3 The 'VIKALP' scheme in the above said sectors will be implemented as a pilot project for a period of six months from the date of implementation.

1.4 CRIS will make necessary modifications in the software at the earliest under intimation to all Zonal Railways as well as to this office.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned.

3. Wide publicity may be given to the features of this scheme through all possible means for information of general public.


  
(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board

No. 2007/TG-I/20/P/ATAS

New Delhi, dated 11.04.2016

**Copy forwarded to:**

1. DAI(Railways), New Delhi with 64 spares.
2. FA&CAOs, All Zonal Railways.

  
for Financial Commissioner, Railways

**Copy to:**

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/F(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) Branch of Railway Board.
3. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2007/टीजी-1/20/पी/एटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 11.04.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 17)

विषय: वैकल्पिक ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम - "विकल्प" आरंभ करना।

संदर्भ: दिनांक 14.10.2015 का पत्र सं. 2007/टीजी/20/पी/एटीएस  
(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.61) और दिनांक 23.11.2015 का पत्र  
सं. 2007/टीजी-120/पी/एटीएस।

प्रतीक्षासूची वाले यात्रियों को कन्फर्म स्थान मुहैया कराने और उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से भी उपर्युक्त पत्र के तहत उत्तर रेलवे के दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्मू सेक्टर में पायलट आधार पर वैकल्पिक ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है, आरंभ की गई थी।

1.1 इस स्कीम का विस्तार करने के संबंध में 2016-17 के रेल बजट में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि विकल्प स्कीम को राजधानी/शताब्दी/दुरांतो/सुविधा एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर सामान्य मेल/एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों में निम्नलिखित सेक्टरों में भी आरंभ किया जाए:-

- i. दिल्ली-हावड़ा
- ii. दिल्ली-मुंबई
- iii. दिल्ली-चेन्नै
- iv. दिल्ली-बैंगलोर
- v. दिल्ली-सिकन्दराबाद

1.2 यह निर्णय लिया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत बुक किए गए सभी यात्रियों को इस बात को ध्यान में रखे बिना वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प दिया जाए कि यात्री के गाड़ी में चढ़ने/गंतव्य स्टेशन ओरिजिनेटिंग/टर्मिनेटिंग स्टेशन है अथवा मार्गवर्ती स्टेशन; जैसेकि यदि किसी यात्री को दिल्ली से नागपुर के लिए बुक किया गया है उसके लिए दिल्ली-चेन्नै सेक्टर पर विकल्प के अंतर्गत विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई यात्री नागपुर से चेन्नै के लिए बुक है तो उसके बारे में भी दिल्ली-चेन्नै सेक्टर पर विचार किया जाएगा। आरंभ में यह स्कीम राजधानी, शताब्दी, दुरांतो और सुविधा गाड़ियों या उन गाड़ियों जिनमें खानपान को किराए में शामिल किया गया हो, को छोड़कर सभी कोटि की गाड़ियों के यात्रियों को शिफ्ट करने के लिए उपलब्ध होगी।

- 1.3 उपर्युक्त सेक्टरों में 'विकल्प' स्कीम, इसे लागू करने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए पायलट परियोजना के रूप में लागू की जाएगी।
- 1.4 क्रिस सभी क्षेत्रीय रेलों और इस कार्यालय को भी सूचित करते हुए सॉफ्टवेयर में शीघ्र आवश्यक परिवर्तन करेगा।
2. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
3. आम जनता को सूचित करने के लिए सभी संभव माध्यमों से इस स्कीम की विशेषताओं का व्यापक प्रचार किया जाए।

VSP

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन  
रेलवे बोर्ड

सं. 2007/टीजी-1/20/पी/एटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 11.04.2016

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. डीएआई (रेलें), नई दिल्ली को 64 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें

11/04/16  
कृते वित्त अधिकारी/रेलें

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

- 1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71